

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक : 5336 / दो-16-4 / 02

कटनी, दिनांक : 16.08.2024

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये विविध आदेश क्रमांक क/दो-16-4/02 दिनांक 01.08.2024 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार नवीन संशोधित आदेश जारी किया जाता है :-

मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म0प्र0 के पत्र क्रमांक 301/एम.पी.एस.जे.ए./2024 दिनांक 26.07.2024 सहपठित ई-कोर्ट फेज-तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ई0सी0टी0-8 एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ई0सी0टी0-9 के अनुसार समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को सी0आई0एस0 साफ्टवेयर का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एन स्टेप कार्यवाही का प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की जाती है :-

**1-Refresher programme for Court Staff and N Step Training (ECT\_8\_2024)**

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी कर्मचारीगण	प्रशिक्षण की निर्धारित तिथियां	समय एवं स्थान	रिसोर्स पर्सन
1	उपप्रशासनिक अधिकारी (श्री संजय नेमा)	दिनांक 23.08.2024 दिन शुक्रवार	सायं 4:30 से 5:30 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभाकक्ष	श्री मुकेश नाथ प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी
2	जिला नाजिर, नायब नाजिर, सेल अमीन			श्री प्रियल दुबे जूनियर सिस्टम एनालिस्ट
3	समस्त आदेशिका वाहक गण			

**नोट :-** 1-इस रिफ्रेशर कार्यक्रम में सभी आदेशिका वाहक अपने शासकीय मोबाईल के साथ प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

**2-Refresher programme for Court Staff (ECT\_9\_2024)**

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारीगण	प्रशिक्षण की निर्धारित तिथियां	समय एवं स्थान	रिसोर्स पर्सन
1	जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त निष्पादन लिपिक एवं सभी साक्ष्य लेखक	दिनांक 24.08.2024 दिन शनिवार	प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभाकक्ष	श्री मुकेश नाथ प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी सह प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कटनी
2	जिला मुख्यालय में पदस्थ समस्त सिविल रीडर एवं सभी स्टेनोग्राफर तथा स्टेनो टाईपिस्ट	दिनांक 24.08.2024 दिन शनिवार	सायं 4:30 से 5:30 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभाकक्ष	श्री प्रियल दुबे जूनियर सिस्टम एनालिस्ट

**नोट :-** 1- उपरोक्त सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तहसील स्थित न्यायालयों के तृतीय श्रेणी स्टाफ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेंगे।

2- सभी प्रतिभागी कर्मचारीगण प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(धरमिंदर सिंह राठौड़)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी